संख्या–   /विअनु–5/स्टाम्प/2004

प्रेषक,

एल0एम0पन्त,
अपर सचिव,वित्त,
उत्तरांचल,शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,निबन्धन,
उत्तरांचल, देहरादून।

वित्त अनुभाग–5 देहरादून::दिनांक 2/, मार्च, 2004

विषयः–उप–निबन्धक,कार्यालय,हल्द्वानी के कम्प्यूटरीकरण एवं भवन के जीर्णोद्धार किये जाने हेतु तैयार किये गये आगणन के परीक्षणोंपरान्त वित्तीय तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या–4124/म0नि0–बजट/2003–2004, दिनांक 05–03–2004 के साथ उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 हल्द्वानी की ओर से उप–निबन्धक कार्यालय,हल्द्वानी के कम्प्यूटरीकरण तथा भवन के जीर्णोद्धार हेतु रु. 46.95 लाख का आगणन शासन की स्वीकृति हेतु भेजा गया था। प्रस्तुत किये गये आगणन के तकनीकी परीक्षणोंपरान्त , मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत आगणन से सम्बन्धित धनराशि रु 46.95 के सापेक्ष रु 38.30 लाख का औचित्य पाया गया है। अतः इसी क्रम में उप निबन्धक कार्यालय,हल्द्वानी के कम्प्यूटरीकरण तथा भवन के जीर्णोद्धार हेतु प्रथम किश्त के रूप में रु 10.00 लाख की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय तथा प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की जाती है। शासन स्तर पर स्वीकृत आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त से सम्बन्धित बजट का आवंटन कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति संतोषजनक होने पर किया जायेगा। शासन की इस स्वीकृति (प्रशासकीय/वित्तीय) के क्रम में इसका व्यय वहन चालू वित्तीय वर्ष 2003–2004 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या –07 के लेखाशीर्षक, 2030– स्टाम्प पंजीकरण, 03–पंजीकरण, 001– निदेशन तथा प्रशासन,04–जिला व्यय की मानक मद संख्या–24–वृहद निर्माण कार्य से किया जायेगा।

2– शासन की उपर्युक्तानुसार स्वीकृति के क्रम में परीक्षणोपरान्त संशोधित आगणन की प्रति संलग्न करते हुये मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न आगणन की प्रतियाँ कार्यदायी संस्था को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। शासन की इस स्वीकृति के सन्दर्भ में निर्धारित प्रक्रियाओं/प्रतिबन्धों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः–

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अनुमोदित करायी जायेगी।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी तथा बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

(3)कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत मार्म है, स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति कराया जायेगा।

(5)कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कराया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् स्थल की आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है,उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

कृपया अपेक्षित कार्यवाही कराते हुये प्रगति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक::यथोक्त

भवदीय,

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव।

संख्या–107(1)/वि0अनु0–5/स्टाम्प/2004,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार,उत्तरांचल,देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी,नैनीताल।
3– सहायक महानिरीक्षक,निबन्धन,उधमसिंह नगर।
4– तकनीकी निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तरांचल एकक,सचिवालय परिसर,देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

25/3/2004

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव।